राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण (एन.आर.एच.एम.) सेवायें
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ–12 (9) एन.आर.एच.एम. / आयुष / 2009 / 2585 दिनांक: 30-6-9

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले।

विषय :– आयुष इन्टीग्रेशन के प्रभावी समन्वयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु दिशा निर्देश।
संदर्भ :– एफ–12 (9)/एनआरएचएम/आयुष/08/143 दिनांक 09.01.09

संदर्भान्तर्गत विषय में लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयुष इन्टीग्रेशन को प्रभावी बनाये जाने के क्रम में पूर्व में संदर्भित पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में प्रभावी आयुष समन्वयन एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिए निर्देशित किया जाता है :–

1. जिन प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सक का पदस्थापन किया गया है उन सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सा केन्द्र (आयुर्वेद, होम्यो. एवं यूनानी जो भी हो) का बोर्ड लगाया जाये ताकि आमजन में जानकारी उपलब्ध हो सके।
2. एन.आर.एच.एम. में पदस्थापित आयुष चिकित्सक के लिए स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध होने पर दो या कम से कम एक कक्ष आवंटित किया जावे।
3. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संचालित आयुष केन्द्र के लिए औषध वितरण हेतु आवश्यक उपकरण जैसे– टेबिल, खरल, डिस्पेन्सिंग मैटेरियल, मेडिसिन काऊन्टर/मेडिसिन कंटेनर (अल्मीरा) उपलब्ध करवाये जावें।
4. आयुष औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायें।
5. आयुष चिकित्सकों को रोगी कल्याण समितियों में सदस्य बनाया जाये।
6. आयुष चिकित्सकों से मुख्यतया आयुष चिकित्सा पद्धतियों से बहिरंग सेवायें ली जाये एवं इसके बाद आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ा जाएं।
7. आयुष चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष पद्धति से उपचार के लिए आये रोगियों के पंजीयन हेतु पृथक से रजिस्टर का संधारण किया जाये एवं आयुष चिकित्सक द्वारा देखे गये रोगियों की मासिक सूचना निरंतर ई–मेलः ayush_nrhm@yahoo.co.in तथा डाक द्वारा निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।
8. आयुष कम्पाउण्डर का पदस्थापन आयुष चिकित्सक के साथ ही किया जाये, यदि ऐसा नहीं है तो आयुष कम्पाउण्डर का स्थानान्तरण आयुष चिकित्सक के साथ एक साथ कर सूचना भिजवावें।

9. आयुष चिकित्सकों का पदस्थापन, जहा आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित औषधालय हैं वहां कर दिया गया है तो तत्काल उनका उस जगह स्थानान्तरण कर सूचना भिजवावें, जहां कि आयुर्वेद विभाग का औषधालय नहीं हैं।

10. जिन केन्द्रों पर चिकित्सा प्रभारी अधिकारी ऐलोपैथ का पद रिक्त है, वहां आयुष चिकित्सक प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं नियमानुसार उन्हें यात्रा भत्ता (मोबिलिटी) देय होगा, ताकि एन.आर. एच.एम. के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य हो सके।

(वी. श्रीनिवास)
सचिव प.क. एवं मिशन निदेशक

क्रमांकः एफ–12 (9) एन.आर.एच.एम./आयुष/2008/ 2585 दिनांक: 30.6.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम।
5. रक्षित पत्रावली।

सचिव प.क. एवं मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान जयपुर